संख्या– 380 /26–2–2012

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1.निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2.निदेशक,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक 12 मार्च, 2012

विषय:–समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या–64273/2011 श्रवण कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2012 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत प्रशिक्षित कराने की व्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में एक युक्तियुक्त अवधि निर्धारित कर ली जाय, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में अप्रशिक्षित समस्त अध्यापक प्रशिक्षित किया जाय अन्यथा उक्त निर्धारित अवधि में प्रशिक्षित न होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में विभाग में अप्रशिक्षित समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 से सामंजस्य स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या– 380 (1)/26–2–2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(कमल किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश

प0सं0 C-4862/स0क0/शिक्षा/प्रा0पा0/2011–12 लखनऊ : दिनांक :19 मार्च, 2012

प्रतिलिपि –

1. समस्त ज़िलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

19/3/12

(मिश्री लाल पासवान)
निदेशक